जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 213 वीं बैठक दिनांक 16.04.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में ''चिन्तन'' कक्ष मे आयोजित की गई। बैठक मे एजेण्डा संख्या–1 एवं 2 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी–।) द्वारा एवं एजेण्डा संख्या 3 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1, 2 एवं 3 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–।।) द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं बैठक में लिये गये निर्णयो का कार्यवाही विवरण संबंधित अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक द्वारा तैयार किये गये है, जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लिया:–

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती नलिनी कटोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/बीपीसी–।)/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–।।) जविप्रा, जयपुर।

बैठक मे निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:–

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती विनीता सिंह, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
6. सुश्री अमिता सिंह, सहायक नगर नियोजक, जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (सेवानिवृत), बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
8. श्री भंवर सिंह, तहसीलदार, जोन–15, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

<u>एजेण्डा</u>

213 / 16.04.2014

विषय :– बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 212 वीं बैठक दिनांक 26.03.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 212 वीं बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2014 / डी–262 दिनांक 03.04.2014 को जारी किये जा चुके हैं। समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा–1</u>

213 / 16.04.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :– प्रारूप रोड़ सेक्टर प्लान–75 के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार प्रारूप रोड़ सेक्टर प्लान–75 के अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 211वीं बैठक दिनांक 10.03.2014 में किये जाने के पश्चात आम जनता से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 03.04.2014 को विज्ञप्ति जारी की गई। 30 दिवस की अवधि 03.05.14 को पूर्ण होती है परन्तु अवकाश होने के कारण आपत्ति / सुझाव 05.05.2014 तक प्राप्त किये जावेंगे। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 05.04.2014 तक आपत्ति / सुझाव प्राप्त किये जाकर उक्त अवधि तक प्राप्त आपत्ति / सुझावों का निस्तारण किया जावें।

<u>एजेण्डा संख्या–2</u>

213 / 16.04.2014 (जोन–6)

विषय :– भैरव गृ.नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर व भैरव गृ.नि.स.स. की योजना सरस्वती विहार में सैक्टर–15 के अनुसार 80 फीट रोड के निर्णय बाबत।

समिति के समक्ष जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार **"दोनों जुडी हुई कॉलोनियों में 80 फीट सैक्टर रोड को त्रुटिवश सरस्वती नगर के अनुमोदित मानचित्र में कन्सलटेंट द्वारा नहीं दर्शाने से उक्त कॉलोनी में सैक्टर रोड में आ रहे भूखण्डों का नियमन कर दिया गया। इससे लगती सरस्वती विहार कॉलोनी में कन्सलटेंट द्वारा सैक्टर रोड दर्ज करने के कारण वहां भूखण्डों का नियमन नहीं किया गया। चूंकि दोनों कॉलोनियां**

लगती हुई हैं जिससे सरस्वती विहार के निवासी यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सैक्टर रोड में भूखण्डों का नियमन किया जावें।"

अतः इस संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया की सरस्वती नगर में सेक्टर रोड में आ रहे भूखण्डों का नियमन जोन द्वारा कर पट्टे जारी कर दिये गये है। अतः सरस्वती विहार योजना के 80 फीट रोड से प्रभावित भूखण्डों का भी नियमन किया जावें। सरस्वती विहार एवं सरस्वती नगर के मध्य से गुजर रही 80 फीट चौडी सेक्टर सडक को सेक्टर–15 की 100 फीट चौडी सेक्टर रोड से 60 फीट चौडी सेक्टर रोड तक विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

चूंकि सरस्वती नगर योजना में 80 फीट रोड में आ रहे भूखण्डों का नियमन कन्सलटेंट द्वारा 80' फीट सेक्टर रोड को नहीं दर्शाने के कारण किया गया है व जोन द्वारा भी सेक्टर प्लान सुपर इम्पोजिशन की जांच यथा समय सही ढंग से नहीं की गई है। यह गंभीर लापरवाही का विषय हैं अतः संबंधित कन्सलटेंट ग्रीनसिटी सर्वेयर द्वारा सेक्टर रोड को नहीं दर्शाया गया को जविप्रा के कार्यो से ब्लेक लिस्ट किया जाने का निर्णय लिया गया। संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से उक्त संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा संख्या–3</u>

213/16.04.2014 (जोन–15)

विषय :– ग्राम झाई के खसरा नं. 502, 503, 504/1, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 500 कुल 2.9091 हैक्ट0 एवं सेज की 200 फिट रोड़ की पुनर्वास योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 19, 20, 21 व 22 क्षेत्रफल 1080 वर्गमीटर के साथ पुनर्गठन कर कुल क्षेत्रफल 30171 वर्गमीटर का ग्रुप हाउसिंग आवासीय एकल पट्टा जारी करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस भूमि मे से खसरा नं. 478/716 है, गैर–मुमकिन रास्ता है। समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन स्तर से मौके की जांच की जावें ताकि किसी भी खातेदार का आवागमन हेतु रास्ता बन्द ना होवें, तदुपरान्त जोन की रिपोर्ट के साथ प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1</u>

213 / 16.04.2014 (जोन–8)

विषय :– मैसर्स मुकुन्द फार्मस प्रा0लि0 के ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर में स्थित गुप हाउसिंग के पुनर्गठित भूखण्ड के प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. संशोधित किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कि राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 04.12.2013 में इसी प्रकार के अन्य प्रकरण मैः रिसर्जेन्ट एस्टेट के पुनर्गठित भूखण्ड में पूर्व के भूखण्ड पर एफ.ए.आर. 1.8 व नवीन भूखण्ड पर 1.33 दिये जाने का निर्णय दिया गया है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी लीजडीड 64644 वर्गमीटर के स्थल मानचित्र में अंकित 1.8 मानक एफ.ए.आर. एवम् 15100 वर्गमीटर के भाग पर 1.33 मानक एफ.ए.आर. रखा जावें। संशोधित पुनर्गठित स्थल मानचित्र में 15100 वर्गमीटर भाग को डोटेड लाईन से दर्शाया जावें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–2</u>

213 / 16.04.2014 (जोन–14ए)

विषय :– मैसर्स टाईम लाइन लैण्ड डवलपर्स एल.एल.पी. जरिये देव सुमन सैनी द्वारा ग्राम रामपुरा गोनेर तह. चाकसू की कुल रकबा 13.35 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के पश्चात आवेदक की प्रस्तावित योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–3</u>

213 / 16.04.2014 (जोन–15)

विषय :– ग्राम खटवाड़ा तह. सांगानेर के खसरा नं. 173 रकबा 0.45 हैक्ट0, खसरा नं. 174 रकबा 0.50 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.95 हैक्ट0 भूमि मे से मौके पर उपलब्ध 9069.28 वर्गमीटर भूमि को पूर्व में जारी संस्थानिक लीजडीड की भूमि क्षेत्रफल 30912 वर्गमीटर के साथ पुनर्गठन कर पट्टा जारी करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पुनर्गठन हेतु 9069.28 वर्गमीटर के प्रस्तावित भू–भाग का संस्थानिक हेतु रूपान्तरण किये जाकर पुनर्गठन स्वीकृत किया जावें। पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर से अधिक है, अतः नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जाकर लीजडीड जारी कर दी जावें। प्रकरण में पुनर्गठन शुल्क पूरे भूखण्ड क्षेत्र पर नियमानुसार लिया जावें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–4</u>

213 / 16.04.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :– एचटी लाईन के सेफ्टी कोरीडोर के संबंध में सेक्टर प्लान व राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के नियमों में समानता रखने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एचटी लाईन के संबंध में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जो सेक्टर प्लान व योजनाऐं अनुमोदित हो चुकी है उनमें प्रस्तावित सेफ्टी कोरीडोर / रोड में कोई संशोधन नहीं किया जाना प्रस्तावित है एवं नये प्रकरण व ऐसे प्रकरण जिनमें अनुमोदित सेक्टर प्लान में एचटी लाईन के साथ सेफ्टी कोरीडोर / रोड के कोई मानदण्ड दर्शित नहीं है, उनमें राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के प्रपत्र दिनांक 21.10.2009 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही किया जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

01.05.14

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा / मा. प्लान / बीपीसी (एलपी) / 2014 / डी– 230
दिनांकः 1/5/14

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयेाजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व) / पश्चिम / एलपीसी / भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन–..............................जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

01.05.14

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

बी.पी.सी.(एल.पी.) की 213वीं बैठक दिंनाक 16.04.14 में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1			
2			
3			
4	ASHA AWASTHI	STP(MP)	[illegible]
5	Shashnath Maheshwari	STP (LP)	[illegible]
6	Prem Shanker	Retd STP L.P	[illegible]
7	Mrinal Joshi	DTP(LP)	[illegible]
8	Usha Jain	ADPR	[illegible]
9	Amita Singh	ATP-8	Amita
10	Vineeta Singh	DC #8	[illegible]
11	NEERAJ. K. TEWARI	ACTP(BPC)	[illegible]
12	Bhanwar Singh	TDR 15	[illegible]
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			